

प्रेषक,

परशुराम प्रसाद,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
आगरा एवं गौतमबुद्ध नगर।

श्रम अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2016

विषय:- प्रदेश के 12 जनपदों में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आवासीय विद्यालय योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था महिला समाख्या द्वारा संचालित विहान बालक/बालिका आवासीय विद्यालयों की अनुबन्धानुसार निरीक्षण / मूल्यांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-34/2016/1375/छत्तीस-2-2016-15(जी)/2015, दिनांक 21-9-2016 एवं शासनादेश संख्या-38/2016/1471/छत्तीस-2-2016-15(जी)/2015, दिनांक 26-9-2016 (प्रतिलिपियाँ संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त शासनादेशों में त्रुटिवश जिलाधिकारी, आगरा के स्थान पर जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर अंकित हो गया है अतः उक्त शासनादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों दिनांक 21-09-2016 व 26-09-2016 में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के स्थान पर जिलाधिकारी, आगरा पढ़ा जाए एवं उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

परशुराम प्रसाद  
विशेष सचिव।

संख्या-43/2016/1501/ छत्तीस-2-2016-15(जी)/2015 तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यथा संशोधित स्थिति के अनुरूप सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित :-

- 1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा श्रमायुक्त, 30प्र0 कानपुर।
- 3- सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-4169/भ0नि0बो0(1059)/16 दिनांक 23-09-2016 के क्रम में संबंधित अनुबन्ध पत्र संशोधित कर शासन को उपलब्ध कराये।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बृजेन्द्र मणि पाण्डेय  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।